न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—12/2024 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

किफ्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा कार्यालय 501, पांचवी मंजिल, क्रिस्टल मॉल, प्लॉट नं. ए/3, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री जितेन्द्र पुत्र श्री कृष्ण पता वार्ड नं. 08, कनवानी, 14 कि.मी. कुंवर जी मन्दिर के पास, कनवानी हनुमानगढ़, रावतसर—335524।

——ऋणी/बंधककर्ता

2. श्री कृष्ण पुत्र भागीरथ पता वार्ड नं. 08, कनवानी, 14 कि.मी. कुंवर जी मन्दिर के पास, कनवानी हनुमानगढ़, रावतसर—335524।
3. श्रीमती सोनू कुमारी पत्नि जितेन्द्र पता वार्ड नं. 08, कनवानी, 14 कि.मी. कुंवर जी मन्दिर के पास, कनवानी हनुमानगढ़, रावतसर—335524।
4. मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्ण पता वार्ड नं. 08, कनवानी, 14 कि.मी. कुंवर जी मन्दिर के पास, कनवानी हनुमानगढ़, रावतसर—335524।

——सहऋणी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश **दिनांकः—13.03.2024**

प्रार्थी किफ्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा कार्यालय 501, पांचवी मंजिल, क्रिस्टल मॉल, प्लॉट नं., ए/3, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी दीपक कैन की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। कम्पनी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को जरिये खाता सं. LNHEHAN008372 में ऋण 12,16,537/— रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 30.03.2012 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पतिः—पट्टा नं. 33 मिसल नं. 33/1/97, कुंवर जी मन्दिर के पास, ग्राम—कनवानी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 481.30 वर्ग मीटर है, जो कि श्री कृष्ण कुमार कनवानी के नाम से हैं, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत ऋण को ऋण अनुबंध की शर्तो के अनुसार नही चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 09.07.2023 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 12,99,977/— रूपये दिनांक 23.07.2023 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

Web Copy Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:50 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 28.07.2023 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 01.08.2023 व 02.08.2023 को प्राप्त हो चुके है। नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्र प्रभात अभिनन्दन व दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 29.07.2023 को किया गया। परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया रकम न तो अदा की और नही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पतिः–पट्टा नं. 33 मिसल नं. 33/1/97, कुंवर जी मन्दिर के पास, ग्राम–कनवानी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 481.30 वर्ग मीटर है, जो कि श्री कृष्ण कुमार कनवानी के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:50 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official